

दिनांक— 28.06.2017 को प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग की अध्यक्षता में बुडको द्वारा कार्यान्वित योजनाओं के समीक्षा हेतु आयोजित बैठक की कार्यवाही :-

प्रबंध निदेशक, मुख्य महाप्रबंधक, महाप्रबंधक (तकनीकी), बुडको तथा बुडको के अन्य पदाधिकारियों की उपस्थिति में बैठक आयोजित हुई। बैठक में बुडको द्वारा कार्यान्वित की जा रही सभी योजनाओं की समीक्षा की गई।

1. **नाला निर्माण** :- विभिन्न शहरों के बड़े Outfall Drains/Storm Water Drain की समीक्षा के क्रम में यह बताया गया कि दरभंगा Storm Water Drainage योजना का जो DPR बनाया गया है, उसमें सम्पूर्ण लम्बाई में ऊपर से Cover कर सड़क बनाने का भी प्रावधान है। निदेश दिया गया कि केवल घनी आबादी वाले क्षेत्रों में ऊपर से Cover करने का प्रावधान किया जाय। उसमें भी प्रत्येक 10 मीटर पर बड़े Chamber का प्रावधान किया जाय, जिससे Silt की निकासी मशीन से हो सके। Side Wall का Strength इस प्रकार का होना चाहिए ताकि आवश्यकतानुसार भविष्य में उसके ऊपर Cover किया जा सके। रेलवे लाईन के पास मात्र 4 मीटर चौड़ाई का Culvert है, इसलिए Upstream में उससे अधिक चौड़ाई का प्रावधान नहीं किया जाय। Downstream में उससे अधिक चौड़ाई रखी जा सकती है। एक सप्ताह में संशोधित DPR उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया। इसी प्रकार का निदेश मधुबनी एवं मधेपुरा के DPR तैयार करने के लिए दिया गया। पूर्व से स्वीकृत सहरसा एवं सासाराम योजना की अद्यतन स्थिति के संबंध में प्रबंध निदेशक, बुडको द्वारा बताया गया कि सहरसा में Storm Water Drainage योजना का कार्य प्रारम्भ हो गया है। सासाराम में भी शीघ्र प्रारम्भ हो जाएगा।

फुलवारीशरीफ Storm Water Drainage के अगले चरण के DPR निर्माण के संबंध में बताया गया कि खोजाइमली तक सड़क के दोनों तरफ का DPR लगभग ₹26.00 करोड़ का होगा। निदेश दिया गया कि इसे 2 Phase में तैयार किया जाय।

2. **जलापूर्ति** :- नौबतपुर जलापूर्ति योजना की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है परन्तु योजना का अवशेष कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है। निदेश दिया गया कि अविलम्ब अवशेष कार्यों को प्रारम्भ कर शीघ्र पूर्ण किया जाय।

झंझारपुर जलापूर्ति योजना में 2 Zone हैं, एजेंसी द्वारा Tower का निर्माण नहीं किया जा रहा है। Zone - I में कार्य पूर्ण है तथा Stand Post से जलापूर्ति की जा रही है। Zone - II में मात्र 380 मीटर पाईप लाईन बिछाया गया है। निदेश दिया गया कि Zone - II का काम बंद किया जाय। एजेंसी को कोई भुगतान नहीं किया जाय। Zone - II का कार्य निश्चय Mode में नगर निकाय से कराया जायेगा।

फुलवारीशरीफ जलापूर्ति योजना में काम पूर्ण है। House Connection के लाभुक के नाम के साथ Roadwise सूची बनाकर उपलब्ध कराने का निदेश कई बार दिया गया है। अभी तक सूची नहीं बनी है। बुडको के संबंधित पदाधिकारी से स्पष्टीकरण पूछने का निदेश प्रबंध निदेशक, बुडको को दिया गया। यह भी

निदेश दिया गया कि बुडको द्वारा कार्यान्वित सभी जलापूर्ति योजनाओं में House Connection के लाभकों की सूची Roadwise तैयार की जाय तथा विभाग को उपलब्ध करायी जाय।

पटना शहरी जलापूर्ति :- रेलवे लाईन के उत्तरी भाग में 18 वार्ड में बुडको को कार्य करना है। इस संबंध में कई बार निदेश के बावजूद कोई प्रगति नहीं होने पर गहरा असंतोष व्यक्त किया गया। निदेश दिया गया कि जितने सरकारी विभागों से भूमि ली जानी है, उन्हें अविलम्ब पत्र दिया जाय। जहाँ जमीन उपलब्ध है, उसी में अधिक नेटवर्क का कार्य कराया जाय। 15 दिनों में स्थिति स्पष्ट करने का निदेश दिया गया।

दानापुर शहरी जलापूर्ति :- निदेश दिया गया कि कितने Zone में कार्य आरम्भ हो चुका है एवं जहाँ कार्य आरम्भ नहीं हुआ है, उस Zone एवं वार्ड के संबंध में स्पष्ट सूचना दी जाय ताकि नगर निकाय से निश्चय Mode में कार्य आरम्भ कराया जा सके। जहाँ कार्य आरम्भ हो चुका है, उससे कितने गृह संयोजन होंगे, इसकी भी सूचना शीघ्र उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

मुजफ्फरपुर शहरी जलापूर्ति :- बुडको द्वारा चार Zone में पूर्व से कराए जा रहे कार्यों में अवशेष कार्य कराने का पुनरीक्षित प्राक्कलन विभाग को भेजा गया है। विभाग से पूर्व के कार्य एवं अवशेष कार्यों का Comparative Chart के साथ कतिपय पृच्छा की गई है। निदेश दिया गया कि विभाग की पृच्छा पर शीघ्र प्रतिवेदन दिया जाय। विभागीय प्रशाखा- 02 को निदेश दिया गया कि नगर निकाय से पूछा जाय कि क्या उनके द्वारा भी निश्चय Mode में कार्य आरम्भ किया गया है ?

सोनपुर शहरी जलापूर्ति :- सोनपुर शहरी जलापूर्ति योजना में विभाग द्वारा बुडको से पृच्छा की गई है कि जब संवेदक पूर्व के दर पर कार्य करने को तैयार है तब दर में Escalation की बात क्यों हो रही है। विभागीय पृच्छा का शीघ्र उत्तर उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

3. **ट्रैफिक लाईट** :- पटना शहर में अधिष्ठापित ट्रैफिक लाईट कई जगह खराब होने की शिकायत मिलने के संबंध में निदेश दिया गया कि इसका सर्वे कराया जाय एवं O&M के तहत संबंधित एजेंसी से ट्रैफिक लाईट एवं CCTV कैमरा ठीक कराया जाय।

4. **डीलक्स टॉयलेट** :- राजगीर में एक डीलक्स टॉयलेट अभी तक नहीं बना है। जिला पदाधिकारी द्वारा स्थल उपलब्ध कराया जा रहा है। निदेश दिया गया कि संबंधित पदाधिकारी अविलम्ब जिला पदाधिकारी, नालंदा से मिलकर स्थल का NOC प्राप्त करें एवं शीघ्र कार्य आरम्भ करायें।

5. **बस स्टैण्ड** :- पूर्णियाँ, भागलपुर एवं सुलतानगंज में काफी प्रयास के बावजूद भूमि उपलब्ध नहीं हो रही है। विभागीय प्रशाखा- 02 को निदेश दिया गया कि तीनों नगर निकायों को पत्र दें कि वे इस मद में आवंटित राशि अविलम्ब कोषागार में जमा कर चालान की प्रति के साथ विभाग को UC भेजें।

नवीनगर, औरंगाबाद, नोखा एवं नवादा में भूमि उपलब्ध है परन्तु कुछ विवाद के कारण कार्य आरम्भ नहीं हो पाया है। तीनों जगह अलग-अलग प्रकार का विवाद है। निदेश दिया गया कि विवाद की स्पष्ट चर्चा करते हुए संबंधित जिला पदाधिकारी को इसके निष्पादन हेतु प्रबंध निदेशक, बुडको पत्राचार करें,

जिसकी प्रति विभाग को दी जाय। विभाग की ओर से भी संबंधित जिला पदाधिकारी से पत्राचार किया जायेगा। औरंगाबाद में कार्य प्रारम्भ था परन्तु, अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा रोक लगा दिया गया है। जिला पदाधिकारी से सम्पर्क कर मामले के निष्पादन कराने का निदेश दिया गया। मानपुर-गया में 24 कट्टा भूमि उपलब्ध है। 04 कट्टा अतिरिक्त जमीन मिलने की सम्भावना है। इसके बाद कार्य प्रारम्भ हो सकेगा। मधेपुरा, दरभंगा, अरेराज, चकिया, झांझा, दाउनगर, सासाराम, पटना (मालसलामी), बिहारशरीफ, आरा, बेगूसराय, अरवल एवं मुंगेर में कार्य आरम्भ हो चुका है। फरवरी 2018 तक सभी का काम चरणबद्ध तरीके से पूर्ण हो जाने का आब्रश्वासन दिया गया। कार्य में और तेजी लाने का निदेश दिया गया। सिवान, मोतिहारी, सीतामढ़ी एवं डेहरी डालमियानगर में कार्य पूर्ण हो चुका है।

दीघा, पटना स्थित आवास बोर्ड की भूमि नये बस स्टैण्ड निर्माण हेतु चिह्नित है। इस भूमि पर ISBT की तर्ज पर एक नये बस स्टैण्ड के निर्माण का DPR शीघ्र उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया, जो दीघा-सोनपुर पुल तथा पाटलिपुत्रा स्टेशन चालू हो जाने के कारण आवश्यक हो गया है।

(चैतन्य प्रसाद),

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक- 2ब०/ना०सु०-03-10/2014 4385 न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक- 03/7/17

प्रतिलिपि :- प्रबंध निदेशक, बुडको/मुख्य महाप्रबंधक, बुडको/महाप्रबंधक (तकनीकी), बुडको/नगर आयुक्त, नगर निगम- पूर्णियाँ, गया, बेगूसराय, पटना, दरभंगा, बिहारशरीफ, भागलपुर, आरा एवं मुंगेर/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्- मधेपुरा, सासाराम, अरवल, औरंगाबाद, नवादा, सिवान, मोतिहार, सीतामढ़ी एवं डेहरी डालमियानगर/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत- चकिया, झांझा, दाउनगर, नोखा, नवीनगर एवं अरेराज को सूचानार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के प्रधान सचिव।